

14.12.17

राज्य द्वारा एडीपीओ

थाना गोहद से जारी आदेशिका अदम तामील बापस प्राप्त हो चुकी है।

आवेदक नाथू सिंह ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसके पिता तेजसिंह की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी है किन्तु उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, इस कारण से उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति की जमानत दी थी, उसका प्रकरण भी समाप्त हो चुका है। प्रकरण की जानकारी होने पर उपस्थित हुआ है। अतः प्रकरण में कम से कम राशि समहृत्त जब्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित जमानतदार तेजसिंह द्वारा अभियुक्तगण वासुदेव एवं मानसिंह की पुत्र प्रभुदयाल की 2500/- 2500/- रूपए की जमानत प्रकरण क्र० 60/86 में प्रस्तुत की गई थी, किन्तु नियत दिनांक को अनुपस्थिति के कारण जमानत निरस्त कर धारा 446 दफ़्तर की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कालांतर में जमानतदार तेजसिंहकी मृत्यु हो जाने के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है। उसके तीन पुत्र लेख किये गये हैं। जमानतदार की मृत्यु हो जाने पर भी उसकी सम्पत्ति भारित रहती है। जमानतदार का पुत्र नाथूसिंह उपस्थित हुआ है और प्रकरण समाप्त कराना चाहता है। चूंकि मूल प्रकरण वर्ष 1986 का लेख किया गया है ऐसे में यह संभावना नहीं है कि उक्त प्रकरण में कार्यवाही शेष रही हो और जमानतदार की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसी दशा में जमानत की राशि में से राशि कम किये जाने हेतु उचित आधार है।

अतः जमानतदार तेजसिंह की सम्पत्ति से 100/- रूपए की राशि जमा किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है एवं शेष राशि मुक्त की जाती है। आवेदक द्वारा बुक क्र० 6909 पर राशि 100/- रूपए रसीद क्र० 36 पर जमा की।

प्रकरण संतुष्टि में समाप्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर अभिलेखागार संचय हेतु प्रेषित है।

(A.K. Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad dist Bhind (M.P.)

2 Sub 36 पर  
100/- रसिद  
क्र० 6909  
रसिद